भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4099

12 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए निर्धारित

महिला शोधकर्ताओं की करियर प्रगति

†4099. डॉ. डी. रवि कुमारः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और अनुसंधान करियर में महिलाओं की भागीदारी और उन्हें प्रोत्साहित करने का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महिला अनुसंधानकर्ताओं के करियर की प्रगति में आने वाली बाधाओं की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) करियर अवकाश के बाद अनुसंधान की ओर लौटने वाली महिला वैज्ञानिकों की सहायता करने के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(घ) ऐसी पहलों के क्या परिणाम निकले हैं?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) सरकार ने अपने राष्ट्रीय सांख्यिकीय ढांचों के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का आकलन किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने अपनी प्रौद्योगिकी एवं विकास सांख्यिकी 2025-26 रिपोर्ट के माध्यम से स्टेम (एसटीईएम) अनुसंधान करियर में महिलाओं की भागीदारी में निरंतर वृद्धि दर्ज की है, जो वर्ष 2000-01 में 13% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 18.6% और बाद में वर्ष 2023-24 में 29% हो गई है। ये आँकड़े स्टेम अनुसंधान कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का आकलन दर्शाते हैं।

(ख) नीति आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) तथा सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर) सहित नीति और अनुसंधान संस्थानों द्वारा महिला शोधकर्ताओं की करियर प्रगति में आने वाली बाधाओं की पहचान करने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। इनमें नीति आयोग की “आशय से प्रभाव तक: कार्यस्थल पर लैंगिक समानता के लिए श्रेष्ठ प्रथाओं का संकलन (2025)”, सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की “स्टेम में

महिलाएँ - लैंगिक समानता की दिशा में एक सीएसआईआर सर्वेक्षण (2022)", तथा डीएसटी की "अनुसंधान और विकास सांख्यिकी रिपोर्ट (2026)" शामिल हैं। ये अध्ययन दर्शाते हैं कि यद्यपि बड़ी संख्या में महिलाएँ स्नातकोत्तर और डॉक्टरल शिक्षा पूरी करती हैं, फिर भी उन्हें ऐसे संरचनात्मक, संस्थागत और सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी करियर प्रगति में बाधा डालते हैं। चिन्हित मुख्य चुनौतियों में देखभाल संबंधी दायित्वों के कारण करियर में व्यवधान; अपर्याप्त बाल देखभाल अवसंरचना; सुव्यवस्थित पुनः कार्य अवसर कार्यक्रम, लचीली कार्य व्यवस्थाओं और मार्गदर्शन के अवसरों की सीमित उपलब्धता; कार्य-जीवन संतुलन संबंधी दबाव तथा इन कारकों का स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव शामिल हैं।

(ग) से (घ): सरकार महिलाओं के करियर के विभिन्न चरणों में करियर में व्यवधान के बाद अनुसंधान के क्षेत्र में पुनः लौटने वाली महिला वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (वाइज-किरण) योजना क्रियान्वित की जाती है, जिसमें वाइज-पीएचडी, वाइज पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (वाइज-पीडीएफ), वाइज-सामाजिक चुनौतियां और अवसर (वाइज-स्कोप), बौद्धिक संपदा अधिकारों में वाइज इंटर्नशिप (वाइज-आईपीआर) और विदुशी शामिल हैं। ये कार्यक्रम महिलाओं को डॉक्टरल और पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान, अनुप्रयुक्त एवं व्यावहारिक अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी प्रशिक्षण तथा वरिष्ठ महिला वैज्ञानिकों के लिए निरंतर अनुसंधान कार्यों से जुड़े रहने के लिए सहायता प्रदान करते हैं।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा जैव प्रौद्योगिकी और संबद्ध अनुसंधान के क्षेत्र में करियर में अंतराल के बाद महिला वैज्ञानिकों के पुनःप्रवेश को आसान बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी करियर उन्नयन और पुनरभिमुखीकरण (बायोकेयर) योजना कार्यान्वित की जाती है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्रक योजना स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु मानव संसाधन विकास के अंतर्गत महिला वैज्ञानिक योजना (डबल्यूएसएस) कार्यान्वित करता है, ताकि मातृत्व या पारिवारिक दायित्वों के कारण करियर में अंतराल के बाद जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान की ओर लौटने वाली महिला शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान की जा सके।

इन पहलों से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। वाइज़-किरण के अंतर्गत, 4,000 से अधिक महिला वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान की गई है, जबकि 942 महिलाओं को बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 413 पंजीकृत पेटेंट एजेंट बन चुकी हैं। बायोकेयर योजना के अंतर्गत, देश भर के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में 415 महिला शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान की गई है, जिससे उन्हें अनुसंधान क्षेत्र में अपने करियर को पुनः आरंभ करने में सुविधा मिली है।
